प्रेस नोट
दिनांक-26.11.2026

पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा ''संविधान दिवस'' के अवसर पर रिजर्व पुलिस लाइन गोण्डा में अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सामूहिक रुप से संविधान की प्रस्तावना का कराया पाठ, राष्ट्र की एकता और अखंडता बनाए रखने की दिलाई शपथ-

आज दिनांक 2026.11.26को पुलिस अधीक्षक श्री अभिषेक द्वारा "संविधान दिवस" के अवसर पर रिजर्व पुलिस लाइन गोण्डा में अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सामूहिक रुप से संविधान की प्रस्तावना का पाठ कराया गया व राष्ट्र की एकता एवं अखंडता बनाए रखने की शपथ दिलाई गयी । पुलिस अधीक्षक महोदय ने कर्मचारियों को संबोधित करते हुए बताया कि का दिन आजाद भारत के इतिहास 1949 नवंबर 26 का बड़ा ऐतिहासिक दिन था । इसी दिन संविधान को अपनाया गया । इस दिवस की स्मृति में प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को'संविधान दिवस' मनाया जाता है । संवैधानिक मूल्यों के प्रति नागरिकों में सम्मान की भावना को बढ़ावा देने के लिए यह दिवस मनाया जाता है । इसी प्रकार अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री अजीत कुमार रजक व अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री नितेश द्वारा पुलिस कार्यालय, गोण्डा में अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सामूहिक रुप से संविधान की प्रस्तावना का पाठ कराया गया व राष्ट्र की एकता व अखंडता बनाए रखने की शपथ दिलायी गयी तथा जनपद के समस्त कार्यालयों व थानोंचैकियों में संविधान की / प्रस्तावना का पाठ कराया गया व राष्ट्र की एकताव अखंडता बनाए रखने की शपथ दिलायी गयी ।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक – 26.11.2026

थाना को0 देहात पुलिस द्वारा दहेज मृत्यु के मामले में 01 वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

कार्यवाही–
थाना को0 देहात पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 716/26 धारा 80(2), 85 बीएनएस एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम से संबंधित वांछित अभियुक्त सूर्य प्रकाश तिवारी पुत्र सुभाष चन्द्र तिवारी निवासी ग्राम कैथोला डीहा थाना को0 देहात जनपद गोण्डा को कैथोला रेलवे स्टेशन के बाहर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही पूर्ण कर मा0 न्यायालय रवाना किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-
दिनांक 19.07.2026 को वादी मुरलीधर दूबे पुत्र बच्चाराम दूबे निवासी ग्राम नदईपुरवा बमडेरा थाना कटरा बाजार जनपद गोण्डा द्वारा थाना को0 देहात पर लिखित प्रार्थना पत्र दिया गया कि लगभग 14 माह पूर्व उनकी पुत्री आँचल की शादी रामप्रकाश तिवारी पुत्र सुभाष चन्द्र तिवारी निवासी ग्राम कैथोला डीहा थाना को0 देहात, जनपद गोण्डा के साथ हुई थी। शादी के कुछ समय बाद से ही ससुरालीजनों द्वारा दहेज में फोरव्हीलर की मांग को लेकर उनकी पुत्री को प्रताड़ित एवं मारपीट किया जाता था। दिनांक 19.07.2026 को उनकी पुत्री की जहरीला पदार्थ खाने से मृत्यु हो गई। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना को0 देहात में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। आज दिनांक 26.11.2026 को थाना को0देहात पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर दहेज हत्याभियुक्त सूर्य प्रकाश तिवारी पुत्र सुभाष चन्द्र तिवारी को कैथोला रेलवे स्टेशन के बाहर से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
1- सूर्य प्रकाश तिवारी पुत्र सुभाष चन्द्र तिवारी निवासी ग्राम कैथोला डीहा थाना को0 देहात जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-
1. उ0नि0 विनय कुमार सिंह।
2. मुख्य आरक्षी उमेश प्रताप।
3. मुख्य आरक्षी मद्देशिया।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांकः 26.11.2026

थाना खोडारे पुलिस द्वारा नाबालिग लडकी को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के मामले में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

कार्यवाही-

थाना खोड़ारे पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 315/2026 धारा 137(2), 64(2)(झ), 87, 351(3) बीएनएस व 3/4(1) पॉक्सो एक्ट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त अमित शर्मा पुत्र दीनदयाल शर्मा निवासी ग्राम बहिराडीहा, थाना छपिया, जनपद गोण्डा को आज दिनांक 26.11.2026 को बभनान-गौरा चौकी मार्ग पर माकुईया मोड़ के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त को आवश्यक विधिक कार्यवाही पूर्ण कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 11.11.2026 को थाना छपिया क्षेत्रान्तर्गत ग्राम बहिराडीहा निवासी एक व्यक्ति द्वारा थाना खोड़ारे पर लिखित प्रार्थना पत्र दिया गया कि उनकी 16 वर्षीय पुत्री अपने फूफा के घर ग्राम श्रवणजोत, थाना खोड़ारे गई हुई थी, जहां दिनांक 07.11.2026 को विपक्षी अमित शर्मा पुत्र दीनदयाल शर्मा उनकी पुत्री को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया था। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना खोड़ारे पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. अमित शर्मा पुत्र दीनदयाल शर्मा निवासी ग्राम बहिराडीहा, थाना छपिया, जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

1- मु0अ0सं0 315/2026 धारा 137(2),64(2)(झ),87,351(3) बीएनएस व 3/4(1) पॉक्सो एक्ट, थाना खोड़ारे, जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 प्रवीण सिंह।
2. का0 अखिलेश यादव।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांकः 26.11.2026

थाना खोड़ारे पुलिस द्वारा शादी का झांसा देकर को लड़की को बहला-फुसलाकर ले जाने वाले 01 आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया व अपहृता को सकुशल बरामद किया गया -

कार्यवाही-

थाना खोड़ारे पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 320/2026 धारा 87 बीएनएस से संबंधित अपहृता को बभनान रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर-02 से सकुशल बरामद किया गया तथा घटना में संलिप्त अभियुक्त बबलू पुत्र सलीम निवासी ग्राम केशवनगर ग्रांट पूर्वी पोखरहिया, थाना खोड़ारे, जनपद गोण्डा को दिनांक 25.11.2026 को बभनान रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर-02 से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त को आवश्यक विधिक कार्यवाही पूर्ण कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया ।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 15.11.2026 को थाना खोड़ारे क्षेत्रान्तर्गत मझौवा तोंग निवासी एक महिला द्वारा थाना खोडारे पर लिखित तहरीर दी गयी कि दिनांक 14.11.2026 को उनकी पुत्री को एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा शादी का झांसा देकर बहला-फुसलाकर अपने साथ भगा ले जाया गया। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना खोड़ारे पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1- बबलू पुत्र सलीम निवासी ग्राम केशवनगर ग्रांट पूर्वी पोखरहिया, थाना खोड़ारे, जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

1- मु0अ0सं0 320/2026 धारा 87 बीएनएस, थाना खोड़ारे, जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 छोटेलाल।
2. आरक्षी शैलेश प्रताप चौहान।
3. महिला आरक्षी सावित्री देवी।

मीडिया सेल, गोण्डा।